Faridabad Plot Built Properties in all Sectors

SYNDICATE ESTATE AGENCY
Ind. Plot no. 11, Sector-15A, Faridabad.
Ph. : (o) 2284588
(R) : 2224288

Spl. In - Residential, Commercial & Industrial

मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम
Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

नेट पर उपलब्ध :
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06/R.N.I. No. 66400/97

ANCHOR ROADLINES
(Regd) SCO - 29, Shoping Centre, Sec. - 11D, FBD.
Daily Parcel Service
For : Noida, Surajpur, Kasna, Ghaziabad, Haridawar, Gurgaon, Manesar, Dharuhera, Bhiwadi, Vice Varsa
24, Hours Service
Phones : 2285044, 2291388

वर्ष 23 अंक 10 वीरवार, फरीदाबाद, 1-15 अप्रैल, 2010 फोन : - 9999595632 सहयोग राशि 1 रुपया

जज निर्मल यादव केस दोबारा चालू

अम्बाला (म.मो.) पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट जज के घर पहुंचे 15 लाख रुपये वाले जिस केस को बंद करने की रिपोर्ट सीबीआई ने अपनी विशेष अदालत में दायर की थी, उसे कोर्ट ने नामंजूर कर करते हुए दोबारा से तफ़्तीश करने का आदेश दिया है। विदित है कि 14 अगस्त, 2008 को जज निर्मलजीत कौर के घर पर हरियाणा के सरकारी वकील संजीव बंसल के मुंशी प्रकाश राम ने एक पैकेट ला कर दिया।

जज साहिबा के आदेश पर चपरासी अमरीक सिंह ने पैकेट खोला तो पाया कि उसमें 15 लाख रुपये हैं। जज साहिबा के ही आदेश पर थाना सेक्टर-11, चंडीगढ़ की पुलिस बुलाई गई जिसने अमरीक सिंह के बयान पर 16.8.08 को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 8 व 9 तथा भादसं की धारा 120 बी के तहत मुकदमा नंबर-250 दर्ज कर लिया गया। इसकी तफ़्तीश स्थानीय एएसपी द्वारा प्रारंभ कर दी गई। बाद में मुख्य न्यायाधीश की सिफ़ारिश तथा राज्यपाल रोड्रिग्स के आदेश पर 26.8.08 को केस सीबीआई को हस्तांतरित कर दिया गया। सीबीआई ने विधिवत केस नंबर-आरसी,एसीजे/2008ए 0004 दर्ज कर के अपनी तफ़्तीश शुरू कर दी थी। साफ़-सुथरी इस तफ़्तीश में पाया गया था कि दिल्ली के एक होटल मालिक रविन्द्र सिंह ने सरकारी वकील संजीव बंसल के माध्यम से जज निर्मल यादव को 15 लाख रुपये भेजे थे जो मुंशी की ग़लती से जज निर्मलजीत कौर के घर जा पहुंचे थे।

बार एसोसिएशन ने अपनी याचिका में साफ़ कहा था कि कानून मंत्री अथवा सीजेआई को कोई अधिकार नहीं है कि वे सीबीआई को बंदी रिपोर्ट कोर्ट में दायर करने जैसा कोई आदेश दें।

पूरी तरह से दोषी साबित हो चुकी जज निर्मल यादव को बचाने के लिये भारत के मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन व भारत सरकार के न्याय व कानून मंत्री मोइली द्वारा केस को रफ़ा-दफ़ा करने के प्रयास में सीबीआई को एक तथाकथित कानून विशेषज्ञ से राय दिलाई गयी कि केस में कोई दम नहीं है, लिहाज़ा इसे बंद कर दिया जाये, जबकि सीबीआई के निदेशक ने साफ़ कहा था कि केस में पूरा दम है और मुकदमा चला कर तमाम दोषियों को सज़ा दिलाई जा सकती है।

इसके बावजूद सरकारी दबाव में सीबीआई को अपनी बंदी रिपोर्ट कोर्ट में भेजनी पड़ी जिसे कि कोर्ट ने 26.3.10 को ठुकराते हुए सीबीआई को दोबारा जांच का आदेश दिया। दरअसल, इस बंदी रिपोर्ट का विरोध करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन ने भी बाकायदा कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, यद्यपि कोर्ट ने बार एसोसिएशन को पार्टी बनाने से इन्कार कर दिया, लेकिन वह काम कर दिया जो कि बार चाहती थी। बार एसोसिएशन ने अपनी याचिका में साफ़ कहा था कि कानून मंत्री अथवा सीजेआई को कोई अधिकार नहीं है कि वे सीबीआई को बंदी रिपोर्ट कोर्ट में दायर करने जैसा कोई आदेश दें। बल्कि सीजेआई तो इस बात से भी मुकर गए कि उन्होंने ऐसी कोई राय दी थी।

शेष पेज 2 पर

पुलिस में मौजूद डकैतों का पकड़ा जाना

पानीपत (म.मो.) मध्य मार्च में पानीपत से समाचार उठा कि हरियाणा पुलिस की एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फ़ोर्स ने एक व्यापारी से छः लाख लूटे तथा दूसरे को लूटने का प्रयास करते हुए पकड़े गये। यह कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। बरसों पहले पूरी भारतीय पुलिस पर टिप्पणी करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश आनंद नारायण मुल्ला ने कहा था, "भारतीय पुलिस खाकीधारी डकैतों का एक संगठित गिरोह है।" लेकिन इसके बावजूद न तो पुलिस की भर्ती एवं ट्रेनिंग प्रक्रिया में कोई सुधार हुआ और न ही उनकी रोज़मर्रा की कार्यशैली में। और तो और अदालतों की भूमिका भी पूर्णतया पुलिस पक्षधर ही रही है, क्योंकि वे भी काला कोट पहन कर वही सब कर रहे हैं जो खाकीधारी कर रहे हैं।

जानकार बताते हैं कि कालेज टाइम से ही नशेड़ी रहे अशोक ने डीएसपी जैसे उच्च पद पर भर्ती होने के बाद भी अपनी आदतें नहीं छोड़ी, जिसके चलते ट्रेनिंग के दौरान भी इस पर कई सवाल उठे। यदि राजनीतिक प्रश्रय नहीं होता तो इसे ट्रेनिंग से ही निकाल कर बाहर फेंक दिया गया होता। इसी राजनीतिक प्रश्रय ने इसे और भी पक्का बिगड़ैल बना दिया।

पानीपत डकैती वाली एसटीएफ का सरगना अशोक श्योराण, जो 21 वर्ष पूर्व डीएसपी भर्ती होकर आज तक भी डीएसपी ही था। कहने को बेशक उसे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कह दिया जाय, लेकिन वास्तव में वह डीएसपी ही था। ज़िला भिवानी के गांव गागड़वास के मूल निवासी अशोक के पिता एक स्कूल अध्यापक थे। उनके आकस्मिक निधन पर 1989 में तत्कालीन देवीलाल सरकार ने इसे अनुग्रह के आधार पर स्कूल मास्टर या क्लर्क या सिपाही भर्ती करने के बजाये सीधे डीएसपी भर्ती कर दिया। भर्ती तो कर दिया लेकिन समस्या आड़े यह आ गयी कि ये साहब बीए में फ़ेल हो गये। दोबारा इम्तहान दिलाया गया, नकल मारने में कोई दिक्कत न हो, इसलिए इसे भिवानी के एक कालेज में दाखिल कराया गया। जैसे-तैसे बीए पास हो ही गया।

जानकार बताते हैं कि कालेज टाइम से ही नशेड़ी रहे अशोक ने डीएसपी जैसे उच्च पद पर भर्ती होने के बाद भी अपनी आदतें नहीं छोड़ी, जिसके चलते ट्रेनिंग के दौरान भी इस पर कई सवाल उठे। यदि राजनीतिक प्रश्रय नहीं होता तो इसे ट्रेनिंग से ही निकाल कर बाहर फेंक दिया गया होता। इसी राजनीतिक प्रश्रय ने इसे और भी पक्का बिगड़ैल बना दिया।

शेष पेज 2 पर

बाबरी मस्जिद के ध्वंस के लिए दोषी कौन?

■ मनोज कुमार झा

भारतीय न्याय व्यवस्था की इसे विडंबना ही कहेंगे कि ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद के ध्वंस के डेढ़ दशक के बाद से भी ज़्यादा समय गुजर जाने के बाद भी अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि इसके लिए दोषी कौन है। बाबरी मस्जिद ध्वंस की जांच के लिए गठित लिब्रहान आयोग ने अपने कार्यकाल को अनेकों बार बढ़वा कर दस करोड़ से भी ज़्यादा खर्च कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, अदालती कार्यवाही अलग से चल रही है, बावजूद इसके नहीं लगता कि दोषियों को सजा मिल पायेगी।

फ़िलहाल रायबरेली के विशेष कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई के दौरान प्रमुख गवाह तत्कालीन एएसपी अंजू गुप्ता ने जो उस समय आडवाणी की सुरक्षा में लगी हुई थीं, जो गवाही दी है, उससे स्पष्ट होता है कि मस्जिद ध्वंस के लिए कारसेवकों को प्रेरित करने व भड़काने में रामकथा कुंज के मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी एवं विश्व हिंदू परिषद् के नेताओं की प्रमुख भूमिका थी। आडवाणी के बारे में कहा गया है कि उनका भाषण काफ़ी जोशीला था और एक तरह से कारसेवकों को मस्जिद ध्वंस के लिए भड़काने वाला था। उन्होंने कार सेवकों की गतिविधियों पर हर्ष भी प्रकट किया था। इसके अलावा वे ध्वंस स्थल पर जाना भी चाहते थे, पर सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए अंजू गुप्ता ने उन्हें वहां जाने नहीं दिया। साथ ही मंच पर उपस्थित उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, विहिप के धर्मेन्द्र गौड़, भाजपा के विनय कटियार आदि के भाषण कारसेवकों को भड़काने वाले और मस्जिद ध्वंस के लिए उनहें प्रेरित करने वाले थे। मंच पर हर्ष का माहौल था और मस्जिद के ध्वंस पर वहां उपस्थित नेतागण एक-दूसरे को मिठाइयां खिला रहे थे। साध्वी ऋतंभरा ने स्पष्ट शब्दों में कारसेवकों को कहा कि 'एक धक्का और दो, मस्जिद को तोड़ दो।' अन्य नेतागण भी भड़काऊ भाषण दे कर अथवा मौन रह कर कारसेवकों का उत्साह बढ़ा रहे थे। इस वक्त अंजू गुप्ता 'रॉ' में महानिरीक्षक पद पर हैं। अदालत में गवाही देते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और विनय कटियार ने भी कारसेवकों को भड़काने वाले भाषण दिये थे और मस्जिद के ध्वंस पर खुशी से सराबोर थे।

क्या कांग्रेस भी हिंदू तुष्टिकरण की नीति पर चल रही थी? इस सवाल का जवाब कांग्रेसी नेताओं को देना चाहिए। उस समय कांग्रेस सरकार में शामिल लोग़ अभी भी केंद्र सरकार में शामिल हैं। वे भी अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। सवाल यह है कि इस मामले को कब तक चलाया जायेगा?

मस्जिद के ध्वंस पर इन नेताओं ने वहां मौजूद पुलिस एवं पीएसीर को कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए बधाई भी दी थी। कारसेवकों को भड़काने में साध्वी ऋतंभरा एवं विनय कटियार का विशेष योगदान था। आडवाणी की भूमिका के बारे में अंजू गुप्ता ने कहा कि इनका भाषण भी कारसेवकों को भड़काने और प्रेरित करने वाला ही था। पर पूर्व में अदालत को अंजू गुप्ता ने यह कहा था कि आडवाणी ने प्रत्यक्ष तौर पर कारसेवकों को भड़काने वाली बात नहीं कही थी। यही कारण है कि बाबरी मस्जिद ध्वंस के मामले में आडवाणी को दोषी नहीं ठहराया गया।

अब अंजू गुप्ता की गुजारिश पर विशेष अदालत के न्यायाधीश गुलाब सिंह ने सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की तारीख तय की है। 23 अप्रैल को अंजू गुप्ता विशेष अदालत के समक्ष गवाही के लिए फिर पेश होंगी। देखना है, इसके बाद विशेष अदालत के न्यायाधीश क्या निर्णय लेते हैं? अहम् सवाल यह है कि वे दोषियों को माकूल सजा सुनाते हैं?

यहां यह बात भी गौर करने वाली है कि जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की कल्याण सिंह सरकार थी जिसने एफेडेविट दिया था कि मस्जिद को नुकसान पहुंचाने नहीं दिया जायेगा। पर जैसे ही कारसेवकों की ध्वंसात्मक गतिविधियां शुरू हुईं, उन्होंने तुरंत इस्तीफ़ा दे दिया। यह भी गौरतलब है कि उस समय केंद्र में नरसिंह राव की कांग्रेसी सरकार थी। मस्जिद ध्वंस को रोकने के लिए उसकी भी भूमिका बनती थी। इस ध्वंस को रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस एवं अर्धसैन्य बल मौके पर मौजूद था। पर उसे कार्रवाई करने का आदेश नहीं दिया गया और केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी रही।

क्या कांग्रेस भी हिंदू तुष्टिकरण की नीति पर चल रही थी? इस सवाल का जवाब कांग्रेसी नेताओं को देना चाहिए। उस समय कांग्रेस सरकार में शामिल लोग़ अभी भी केंद्र सरकार में शामिल हैं। वे भी अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। सवाल यह है कि इस मामले को कब तक चलाया जायेगा? क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह जल्द से जल्द न्यायिक प्रक्रिया के नाटक को खत्म कराये और दोषियों को अविलंब सजा दे, अगर उसमें ऐसा करने की हिम्मत है तो?